न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 19/2019

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1भंवराराम 2भीखाराम पुत्रान शिवकरण 3कमा पुत्री शिवकरण जातियान मेघवाल निवासीगण रूण तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		तहसीलदार, मुण्डवा

उपस्थिति :–

1. श्री गणपतराज कांगसिया अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 09.11.2020

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा के प्रकरण सं. 34/18 सरकार बनाम भंवराराम वगैरा मे पारित निर्णय दिनांक 10.12.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.03.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 24.04.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मुण्डवा के निर्णय दिनांक 10.12.18 की फोटोप्रति, तहसीलदार मुण्डवा द्वारा पटवारी रूण को लिखे पत्र दिनांक 30.7.18 की फोटोप्रति, पटवारी रूण की जांच रिपोर्ट की फोटोप्रति, पटवारी द्वारा जारी सनद जमा रसीद की फोटोप्रति, ग्राम रूण के नामान्तरकरण सं. 6481 दिनांक 7.8.18 की फोटोप्रति, ग्राम रूण की चालू खतौनी संवत 2071–74 की फोटोप्रति, सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के आदेश दिनांक 4.1.02 तथा पत्र दिनांक 26.6.02 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अपीलाधीन निर्णय, अवैध, विधि विरूद्व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को जवाब तथा साक्ष्य सबूत पेश करने के अवसर दिये बगैर एवं उनको रेकर्ड पर लिये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है और अपीलांट के पीठ पीछे बाले ही अपीलाधीन आदेश पारित किये। जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व होने से भी अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–अपीलांट भूमिहीन अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा जिनके खातेदारी मे कोई भूमि दर्ज नही है तथा वादग्रस्त खसरा सं. 1772 की भूमि पर सन् 1971 से काबिज है तथा इस भूमि को काश्त करते है।

{2}(IV)–अपीलाधीन प्रकरण मे प्रशासन गांव के संग अभियान मे सहायक कलक्टर (मु.) नागौर द्वारा आंवटन/सलाहकार कमेटी की सिफारिश के अनुसार अपीलांट कमरूदीन, अहमद तेली, सिकन्दर वगैरा के नाम उपरोक्त वादग्रस्त अपीलाधीन खसरो की भूमि आवंटित/नियमित की जाकर इनको मौके पर कब्जा सुपुर्द किया जाकर प्रत्येक से 5 रू. सनद फीस वसूल किये जाने को आदेश तत्कालीन तहसीलदार व पटवारी को दिया था।

{2}(V)–इस आदेश की पालना मे सहायक कलक्टर (मु.) नागौर ने दिनांक 4.1.02 को तत्कालीन तहसीलदार को पत्र प्रेषित कर आदेशित किया कि आवंटन/सलाहकार कमेटी की सिफारिश के अनुसार अपीलांट को वादग्रस्त खसरो की भूमि का नियमानुसार कब्जा सुपुर्दकर पालना रिपोर्ट की जावे।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(VI)–राजस्व मंडल अजमेर के न्याय दृष्टांत आरआरटी 2016(1) पेज 340 बअनवान जगन्नाथ बनाम राज्य मे पारित निर्णय के अनुसार "राज. भू राजस्व (कृषि भूमि के आवंटन) के नियम 18 के अनुसार दिनांक 19.6.81 को भूमि आंवटित की– खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये और अभी भी वह गैर खातेदार दर्ज है – प्रार्थी भूमि के कब्जे काश्त मे है– राजस्व अधिकारियो ने प्रावधानो की पालना नही की और यह उनका दायित्व था – निर्णीत, खातेदारी अधिकार प्रदान करने का तहसीलदार को निर्देश दिया।"

इसी प्रकार राजस्व मंडल अजमेर के अन्य न्याय दृष्टांत आरआरटी 2016(1) पेज 559 बअनवान भीकाराम बनाम राज्य मे पारित निर्णय के अनुसार नियम 18 के अनुसार "दिनांक 6.12.78 को प्रार्थी के नाम भूमि नियमन की – लंबा समय बीत जाने के बाद भी गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार दर्ज नही किये – तीन वर्ष बाद खातेदारी अधिकार दर्ज करने का तहसीलदार का कर्तव्य – प्रार्थी निरंतर रूप से भूमि काश्त कर रहा है – निर्णीत निर्देश दिये।"

चूंकि सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के आदेश के बावजूद भी राजस्व अधिकारियों एंव कर्मचारियो ने अपने विधिक कर्तव्यो की पालना नही जिसके कारण अपीलांट को दण्डित नही किया जा सकता है। चूंकि तहसीलदार व पटवारी रूण ने सहायक कलक्टर (मु.) के आदेश की पालना नही की। जिस कारण अपीलांट द्वारा पुनः तहसीलदार मुण्डवा के समक्ष दिनांक 4.7.18 को उक्त आदेश की पालना मे वादग्रस्त भूमि के नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत आवेदन पेश किया।

{2}(VII)–अपीलांट के आवेदन तथा तत्कालीन सहायक कलक्टर (मु.) नागौर की पालना द्वारा तत्कालीन तहसीलदार एवं पटवारी रूण द्वारा प्रत्येक अपीलांट से सनद फीस वसूल की गई तथा अपीलांट के नाम म्यूटेशन सं. 6483 दर्ज किया गया। इस प्रकार पटवारी द्वारा आवंटन/सलाहकार कमेटी की सिफारिश तथा सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के आदेश की पालना मे अपीलांट से सनद राशि वसूल कर प्राप्त करना ही सनद जारी करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो अपने आप मे सनद के समान है।

{3}–राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि तहसीलदार द्वारा ग्राम रूण के नामान्तरकरण सं. 6481 दिनांक 30.7.18 पूर्व तहसीलदार के आदेश दिनांक 25.9.71 के आधार पर भरा गया है। उक्त व्यक्ति का आराजी भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है। न ही उनके पक्ष मे आवंटन के आधार पर कोई सनद ही जारी हुई तथा आवंटी व उसके उत्तराधिकारियो को नामान्तरकरण जैर कार्यवाही के दौरान सुना भी नही गया था। ऐसी स्थिति मे तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 के तहत प्रकरण का पुनरावलोकन कर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो विधि सम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार नागौर के आदेश क्रमांक /राजस्व/71/1378 दिनांक 25.9.71 के अनुसार शिवकरण पुत्र पूसा के नाम ग्राम रूण के खसरा नं. 1710 रकबा 0.19 बीघा व खसरा नं. 1772 रकबा 5.00 बीघा नियमन होने के आधार पर अमल दरामद होने का आदेश दिया गया। जिस पर अमल नही होने से तहसीलदार, मुण्डवा के आदेश क्रमांक भूअ/18/2311 दिनांक 30.7.18 के क्रम मे ग्राम रूण मे नामान्तरकरण सं. 6481 दिनांक 30.7.18 शिवकरण फौत हो जाने से उसके वारिसान अपीलांट सं. 1 से 3 के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण का पुनरावलोकन प्रकरण सं. 34/18 सरकार बनाम भंवराराम वगैरा दर्ज कर तहसीलदार द्वारा आदेश जैर अपील दिनांक 10.12.18 को पारित किया गया, से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण मे शिवकरण अथवा उनके वारिसान का आराजी पर कब्जा रहा हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार नही है। नियमन होने की स्थिति मे कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत जहां भूमि का आवंटन आदेश की तारीख के एक माह के भीतर आवंटी को वास्तव मे नही दिया जाता है, वहां आवंटी का कर्तव्य बनता है कि वो जिला कलक्टर को आदेश को प्रवर्तित करने का आवेदन करेगा तथा आवंटन के 15 दिन मे भौतिक कब्जा दिये जाने की स्थिति मे नियम 15 (3) के अन्तर्गत सनद जारी किये जाने के प्रावधान है। आवंटी शिवकरण अथवा उसके वारिसान द्वारा उक्त निर्धारित अवधि मे कब्जा लेने हेतु कोई कार्यवाही की गई हो, ऐसा प्रकट नही है तथा न ही उनका कभी भी कब्जा रहा है तथा कब्जा नही होने की स्थिति मे आवंटन पर सनद भी जारी नही होना स्पष्ट है। ऐसी स्थिति मे आवंटन आदेश स्वतः ही निष्फल माना जायेगा। पुनरावलोकन कार्यवाही से पूर्व अपीलांट भंवराराम, भीखाराम व कमा को नोटिस दिया गया है, जिनमे भंवराराम

अपर कलक्टर, नागौर

अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित भी हुआ है। जिससे पुनरावलोकन आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना भी रेकर्ड के अनुसार पाया जाता है। जिससे आदेश जैर अपील मे कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट्स की अपील ठोस आधारो पर प्रतीत नही होती है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर